आवंटित भूमि में चले आ रहे प्रार्थीनी के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो अप्रार्थी स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे जिस हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 2 की और से अधिवक्ता देवीसिंह भाटी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवाय चक भूमि है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

14/2/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 155/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2024/119
दायर दिनांक :– 19.07.2024 **निर्णय दिनांक :–** 14.02.2025

1. किरतुदेवी पत्नी फगलूराम जाति विश्नोई निवासी मोडकिया हाल निवासी माडपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. किसनाराम पुत्र हिरकनराम जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री देवीसिंह भाटी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने एक नियमित राजस्व वाद घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थीगण का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। ग्राम रोणरी पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 770 रकबा 17.8466 हैक्टेयर काश्त भूमि स्थित है। ग्राम राणेरी में से नया राजस्व ग्राम झड़ासर बन जाने से वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम झड़ासर में स्थित है। तहसील एडवाईजरी कमेटी द्वारा ग्राम राणेरी में भूमि आवंटन बाबत कैम्प रखा गया और दिनांक 10.09.1968 को उक्त कमेटी द्वारा ग्राम राणेरी के खसरा नम्बर 770 रकबा 17.8466 हैक्टेयर मे से रकबा 50–00 बीघा काश्त भूमि प्रार्थीनी को आवंटित की गई और प्रार्थीनी ने नियमानुसार आवंटन शुल्क भी अदा कर दिया था और उसी दिन तहसीलदार फलोदी द्वारा मिसल नम्बर 338/68 कायम कर प्रार्थीनी को आवंटन आदेश की प्रति सुपुर्द की और पटवारी हल्का ने उसी दिन मौके पर चल कर प्रार्थीनी को कब्जा सुपुर्द कर दिया और आवंटन कमेटी ने पटवारी हल्का को माफिक आवंटन प्रार्थीनी के पक्ष में नामान्तरकरण भरने हेतु तहरीर जारी कर दी। प्रार्थी ने अपनी रहवासी ढाणी, पानी का टांका इत्यादि बना रखे है। प्रार्थीनी अपने परिवार सहित बारह मास निवास करती है और प्रार्थीनी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार जारी है। प्रार्थीनी उपरोक्त आवंटित भूमि को अपने नाम खातेदारी की घोषणा करवाने की अधिकारी है। इसलिये अप्रार्थी के विरूद्व एवं प्रार्थीनी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि उक्त

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)